

भारत में भूमिसुधार (भाग- 2)

स्वतंत्रता पूर्व

- ब्रटिश राज में कसिनों के पास उन ज़मीनों का स्वामतिव नहीं था जनि पर वे खेती करते थे। ज़मीन का मालकिना हक ज़मीदारों, जागीरदारों आदि के पास होता था।
- इसकी वजह से स्वतंत्र भारत में सरकार के समक्ष कई गंभीर मुद्दे उत्पन्न हुए जो चुनौती बनकर खड़े हो गए।
 - भूमिपर मध्यस्थों का प्रभाव और कुछ लोगों का स्वामतिव था, जनिको स्वयं कृषिकार्य करने में कोई रुचनिहीं थी।
 - भूमिको पट्टे पर देना एक सामान्य घटना था।
 - काश्तकारों का शोषण लगभग प्रत्येक जगह कया जाता था जसिमें काश्तकारी अनुबंध की ज़बती एक सामान्य घटना थी।
 - भूमिरिकॉर्डों की दशा खराब थी, फलस्वरूप मुकदमेबाजी में वृद्धि हुई।
 - वाणिज्यिक खेती के लिये भूमिका बहुत छोटे भागों में वभिजन करना कृषि क्षेत्र की एक अन्य समस्या थी।
 - इसके परणामस्वरूप सीमा और भूमिविवादों के रूप में भूमि, पूंजी तथा श्रम का अकुशल उपयोग हुआ।

स्वतंत्रता पश्चात् की स्थिति

- जे. सी. कुमारपन (J. C. Kumarappan) की अध्यक्षता में भूमि संबंधी समस्याओं से निपटने के लिये एक समिति नियुक्त की गई। कुमारपन समतिद्वारा कृषि में व्यापक सुधार हेतु उपायों की सफिरशि की गई।
- स्वतंत्र भारत में भूमिसुधारों के चार घटक थे:
 - मध्यस्थों का उन्मूलन।
 - काश्तकारी सुधार।
 - भूमि स्वामतिव की सीमा तय करना।
 - भूमि स्वामतिव की चकबंदी।
- इन सुधारों की व्यापक स्तर पर स्वीकृति के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति की ज़रूरत थी जसि कारण से इन्हें चरणों में स्वीकार करना पड़ा।

मध्यस्थों का उन्मूलन

- **ज़मीदारी प्रणाली का उन्मूलन:** प्रथम महत्त्वपूर्ण कानून ज़मीदारी प्रणाली का उन्मूलन था जसिने द्वारा कृषकों और राज्य के मध्य मौजूद मध्यस्थों को हटा दिया गया।
- यह सुधार अन्य सुधारों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी था जो अधिकांश क्षेत्रों में ज़मीदारों के अधिकारों को समाप्त करने और उनकी आरथिक एवं राजनीतिक शक्तिको कमज़ोर करने में सफल रहा।
 - यह सुधार वास्तविक भू-स्वामियों अरथात् काश्तकारों की स्थिति को मजबूत करने के लिये कया गया था।
- **लाभ:** मध्यस्थों के उन्मूलन से लगभग 2 करोड़ काश्तकारों को वह भूमिप्राप्त हो गई जसि पर वे कृषि करते थे।
 - मध्यस्थों के उन्मूलन के कारण एक शोषक वर्ग का अंत हो गया और भूमिहिन कसिनों को भूमिवितरण के लिये अधिक-से-अधिक भूमि को सरकारी कबज़े में लिया गया।
 - देश में बंजर भूमि और मध्यस्थों के नजी वर्नों का काफी क्षेत्र खेती योग्य था।
 - मध्यस्थों के कानूनी उन्मूलन से कसिन सीधे सरकार के संपरक में आ गए।
- **हानियाँ:** हालाँकि ज़मीदारी उन्मूलन से ज़मीदारवाद, काश्तकारी या शेयरक्रॉपिंग प्रणाली (Sharecropping Systems) पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाई तथा कई क्षेत्रों में यह व्यवस्था जारी रही। इसकी वजह से बहुस्तरीय कृषिसंरचना पर मौजूद ज़मीदार केवल शीर्ष स्तर से हट गए।
 - इसके कारण बड़े पैमाने पर भूमिनिषिकासन हुआ जसिके कारण कई सामाजिक-आरथिक और प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं।
- **मुद्दे:** जम्मू-कश्मीर और पश्चिम बंगाल ने उन्मूलन को वैध करार दिया था तथा अन्य राज्यों में मध्यस्थों को बना कसिनी सीमा के व्यक्तिगत कृषि भूमि पर स्वामतिव बनाए रखने की अनुमतिप्राप्त थी।
 - साथ ही कुछ राज्यों में यह कानून कृषिजोतों की जगह केवल सैराती महालों (Sairati Mahal) जैसे काश्तकार हतिं पर लागू हुआ।
 - अतः ज़मीदारी प्रणाली के औपचारिक उन्मूलन के बाद भी कई बड़े मध्यस्थ मौजूद रहे।

काश्तकारी में सुधार

- ज़मीदारी उन्मूलन अधनियम पारति करने के पश्चात् अगली बड़ी समस्या काश्तकारी के वनियमन की थी।
 - सवतंत्रता-पूरव अवधि के दौरान काश्तकारों द्वारा भुगतान कया जाने वाला भूमिकर अत्यधिक (पूरे भारत में 35% और 75% सकल उपज के बीच) था।
 - भूमिकर को वनियमिति करने के लिये पेश कया गए काश्तकारी सुधार काश्तकारों को कार्यकाल की सुरक्षा एवं स्वामतिव प्रदान करते हैं।
 - कृषकों द्वारा देय करिए को वनियमिति करने के लिये (1950 के दशक की शुरुआत में) पंजाब, हरयाणा, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश के कुछ हस्सों में सकल उत्पादन सतर का 20% - 25% तक भूमिकर निधारति कया गया था।
- इस सुधार ने या तो काश्तकारी को पूरी तरह से अवैध करार दिया या काश्तकारों को कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिये भूमिकर के वनियमन करने का प्रयास कया।
- पश्चिम बंगाल और केरल में कृषकसंघना का मौलिक पुनर्गठन हुआ, जिसने काश्तकारों को भूमिका अधिकार प्रदान कया।
- **मुद्दे:** अधिकांश राज्यों में इन कानूनों को कभी भी बहुत प्रभावी ढंग से लागू नहीं कया गया। योजना के दस्तावेजों पर बार-बार बल देने के बावजूद कुछ राज्य काश्तकारों को स्वामतिव के अधिकार प्रदान करने के लिये कानून पारति नहीं कर सके।
 - भारत के कुछ राज्यों ने काश्तकारी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया, जबकि अन्य राज्यों ने मान्यता प्राप्त काश्तकारों और अंशधारकों को स्पष्ट रूप से अधिकार प्रदान कया है।
 - यद्यपि सुधारों ने काश्तकारी क्षेत्र में कमी की, परंतु बहुत कम काश्तकारों को स्वामतिव का अधिकार प्राप्त हुआ।

भूमि स्वामतिव की सीमा

- भूमि सुधार कानूनों की तीसरी प्रमुख शरणी लैंड सीलगि अधनियम (**Land Ceiling Acts**) की थी। भूमि स्वामतिव पर सीमा को कानूनी रूप से भूमि के उस अधिकितम आकार के रूप में संदर्भित कया जाता है जिससे अधिक भूमि पर कोई भी कृषक अथवा कृषक परवार स्वामतिव नहीं रख सकता। इस तरह की सीमा तय करने का उद्देश्य कुछ ही लोगों के हाथों में नहिति भू-स्वामतिव में कमी करना था।
- वर्ष 1942 में क्रमारपण समिति ने भूमि के अधिकितम आकार (ज़मीदारों के पास) को लेकर सफिराशि की। यह एक परवार की आजीवका के लिये आवश्यक सीमा से तीन गुनी अधिक थी।
- वर्ष 1961-62 तक सभी राज्य सरकारों ने लैंड सीलगि अधनियम पारति कर दिया थे लेकिन अलग-अलग राज्यों में यह सीमा अलग-अलग थी। राज्यों में एक रूपता लाने के लिये वर्ष 1971 में एक नई भूमि सीमा नीति बिनाई गई।
 - वर्ष 1972 में वभिन्न क्षेत्रों में भूमि के प्रकार, उनकी उत्पादकता और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर अलग-अलग सीमा के साथ राष्ट्रीय दशा-नरिदेश जारी कया गए थे।
 - इन दशा-नरिदेश में सबसे अच्छी भूमि की सीमा 10-18 एकड़, द्वितीय शरणी के भूमि की सीमा 18-27 एकड़ और शेष भूमि सीमा 27-54 एकड़ थी, लेकिन पहाड़ी एवं रेगिस्तानी इलाकों में भूमि की सीमा इनसे थोड़ी अधिक थी।
- इन सुधारों की मदद से राज्य को प्रत्येक परवार के स्वामतिव वाली अधिशेष भूमि (तय सीमा से अधिक) की पहचान और उसका अधिग्रहण करना था तथा इसे भूमिहीन परवारों एवं अन्य अनुसूचित शरणीयों जैसे-एससी व एसटी के भूमिहीन परवारों को पुनर्वितरण करना था।
- **मुद्दे:** अधिकांश राज्यों में ये अधनियम शक्तिविहीन साबति हुए। इसमें ऐसी कई खामयाँ एवं रणनीतिकि कमयाँ थीं जिनसे भूस्वामी अपनी भूमि को अधिग्रहण से बचा लेते थे।
 - बहुत बड़ी कुछ भू-संपदाओं को वभिजति कर दिया गया, लेकिन अधिकांश भूस्वामयाँ ने तथाकथति बेनामी हस्तांतरण द्वारा अपनी भूमि नौकरों, रशितेदारों आदि के नाम करा दी। इससे भूस्वामी भूमि के वभिजन के बाद भी उस पर अपना नयिंत्रण बनाए हुए थे।
 - लैंड सीलगि एकट के प्रवधानों से बचने के लिये कुछ जगहों पर कुछ अमीर कसिनों ने अपनी पतनयाँ (वास्तव में उनके साथ रहना जारी रखा) को तलाक दे दिया क्योंकि इस अधनियम में तलाकशुदा औरतों के लिये भूमि में हस्सेदारी की अनुमति थी, जबकि शादीशुदा औरतों के लिये नहीं थी।

भूमि स्वामतिव की चकबंदी


- चकबंदी का अरथ खंडति भूमयाँ का एक भूखंड के रूप में पुनर्गठन/पुनर्वितरण करने से है।
 - गैर-कृषक क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या और रोज़गार के कम अवसरों ने भूमि पर दबाव बढ़ा दिया जिसके कारण भूमि के विखिंडन की प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है।
 - इससे भूखंडों की सचिई और देखरेख करना बहुत मुश्कलि हो गया।
- इसी कारण से भूमिकी चकबंदी शुरू की गई।
 - इस अधनियम के तहत गाँव के कृषकों की भूमि के छोटे भूखंडों को एक बड़े टुकड़े (भूमि की खरीद या वनिमिय द्वारा) में मिला दिया जाता था।
 - भूमि चकबंदी के लिये तमलिनाडु, केरल, मणपुर, नगालैंड, त्रपुरिया और आंध्र प्रदेश के कुछ हस्सों को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने कानून बनाए।
 - भूमि की चकबंदी करवाना पंजाब और हरयाणा राज्य में अनविराय थी, जबकि अन्य राज्यों में चकबंदी भू-स्वामयाँ की सहमति से स्वैच्छकि आधार पर की गई।
 - लाभ: इससे भूमि जोत का कभी खत्म न होने वाला विखिंडन रोका गया।
 - इससे कसिन अलग-अलग स्थानों की बजाय भूमि की एक ही जगह पर सचिई तथा कृषकरने लगे जिससे समय एवं शरम की बचत हुई।
 - इस भू-सुधार से कृषकी लागत और कसिनों के बीच मुकदमेबाज़ी में कमी आई।
- **परणिम:** प्रयाप्त राजनीतिकि और प्रशासनिकि समर्थन की कमी के कारण पंजाब, हरयाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश (जहाँ चकबंदी का कार्य पूरण हुआ था) को छोड़कर चकबंदी के संदर्भ में हुई प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं थी।
 - हालाँकि इन राज्यों में जनसंख्या के दबाव के चलते भूमि के विखिंडन के कारण पुनः चकबंदी कया जाने की आवश्यकता थी।
- **पुनः चकबंदी की आवश्यकता:** वर्ष 1970-71 में औसत भू-स्वामतिव का आकार 2.28 हेक्टेयर था जो वर्ष 2015-16 में घटकर 1.08 हेक्टेयर रह गया।
- नगालैंड में औसत कृषक क्षेत्र आकार सबसे अधिक है वहीं पंजाब एवं हरयाणा इस सूची में करमशः द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर हैं।

- ० भू-स्वामतिव का आकार बहिर, पश्चिम बंगाल और केरल जैसे घनी आबादी वाले राज्यों में बहुत कम है।
- पीढ़ी-दर-पीढ़ी उपखंडों के विभाजन ने इन्हें और भी छोटा कर दिया है।

FARMLAND FRAGMENTATION

Over the years, the number of farm holdings in the country has increased, but the area under farming has dipped. As a result, not only has the average size of land holding decreased, the share of marginal farmers has risen substantially.

30 states and Union Territories have registered reduction in the average size of land holdings. Mizoram is the lone exception.



भूदान एवं ग्रामदान आंदोलन

- महात्मा गांधी के शैषिय वनिओबा भावे ने तेलंगाना के पोचमपलली में भूमिहीन हरजिनों की समस्याओं पर ध्यान दिया।
- उन्होंने भारत के भूमि-सुधार कार्यक्रम में "अहसितामक क्रांति" लाने के प्रयास के तहत आंदोलनों का नेतृत्व किया।
 - इन आंदोलनों के तहत भू-स्वामी संपन्न वर्गों से आग्रह किया जाता था किंतु स्वेच्छा से अपनी भूमि के एक हसिसे को भूमिहीनों को सौंप दें, जिसिको भूदान आंदोलन के नाम से जाना जाता है।
 - इसकी शुरुआत वर्ष 1951 में हुई थी।
- वनिओबा भावे द्वारा की गई अपील से कुछ भू-स्वामी वर्गों ने अपनी कुछ भूमि का स्वैच्छक दान किया।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा इस कार्य में वनिओबा भावे को आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही थी।
- भूदान आंदोलन ने वर्ष 1952 में शुरू हुए ग्रामदान आंदोलन को भी दिशा दी।
 - ग्रामदान आंदोलन का उद्देश्य प्रत्येक गाँव में भूमि-स्वामियों और पटाधारकों को उनके भूमि-अधिकारों को त्यागने के लिये राजी करना था। समस्त भूमि के समतावादी पुनर्विनियोग तथा संयुक्त खेती हेतु ग्राम संघ की संपत्ति बिना दिया जाता था।
 - एक गाँव के 75% नवासियों (जिनके पास 51% भूमि थी) की ग्रामदान के लिये लिखित स्वीकृति मिलने के बाद ही उस गाँव को ग्रामदान के रूप में घोषित किया जाता था।
 - ग्रामदान के तहत आने वाला पहला गाँव मैगरोथ, हरपुर (उत्तर प्रदेश) था।

आंदोलन की सफलता:

- यह स्वतंत्रता के बाद का पहला आंदोलन था जिसने एक आंदोलन (सरकारी कानून से नहीं) के माध्यम से सामाजिक परविरतन लाने का प्रयास किया।
- इस आंदोलन ने एक नैतिक माहौल का नरिमाण किया जिससे बड़े ज़मीदारों पर दबाव पड़ा।
- इसने कसिनों और भूमिहीनों के बीच राजनीतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया तथा कसिनों को संगठित करने हेतु राजनीतिक प्रचार के लिये एक ज़मीन तैयार की।

कमियाँ:

- इस आंदोलन के तहत दान की गई अधिकांश भूमि कम उपजाऊ अथवा मुकदमेबाज़ी वाली होती थी और इस प्रकार प्राप्त भूमि की बहुत कम मात्रा का वितरण ही भूमिहीनों के मध्य किया जा सका।
- ग्रामदान आंदोलन उन गाँवों (मुख्यतः आदविसी क्षेत्रों) में शुरू किया गया था जहाँ वर्ग वभिदीकरण की स्थिति नहीं थी और भू-स्वामतिव को लेकर बहुत कम अंतर था।
- यह आंदोलन उन क्षेत्रों में सफल नहीं हो सका जहाँ भू-स्वामतिव में अधिक असमानता थी।
- आंदोलन अपनी क्रांतिकारी क्षमता का एहसास करने में वफिल रहा।

परणामः

- इन आंदोलनों को व्यापक सफलता मिली थी।
 - वर्ष 1969 के आस-पास आंदोलन अपने चरम पर था।
 - अनेक राज्य सरकारों ने ग्रामदान और भूदान के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कानून बनाए।
 - वर्ष 1969 के बाद ग्रामदान और भूदान ने स्वैच्छिक आंदोलन की जगह सरकारी सहायता प्राप्त कार्यक्रम में स्थानांतरित होने के कारण अपना महत्व खो दिया।
 - आंदोलन से वर्ष 1967 में वनिबा भावे के निकल के बाद जनाधार में कमी आई।

आगे की राह

- नीतिआयोग और कुछ उद्योगों द्वारा भूमि पर नविश को बढ़ावा देने और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक आय तथा रोजगार का सृजन करने के लिये बड़े पैमाने पर भूमि को पट्टे (Land Leasing) पर लिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
- इस उद्देश्य को चकबंदी द्वारा सुगम बनाया जा सकता था।
- भूमिकॉर्ड डिजिटलीकरण जैसे- आधुनिक भूमि सुधार उपायों को जल्द से जल्द अपनाया जाना चाहिये।

नष्टिकरण

- भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन की गतिधीमी रही है। फरि भी काफी हद तक सामाजिक न्याय का उद्देश्य हासलि किया गया है।
- ग्रामीण कृषि अरथव्यवस्था में भूमि सुधारों की बड़ी भूमिका है। गाँवों में गरीबी खत्म करने के लिये नए एवं प्रविरतनकारी भूमि सुधार उपायों को नई शक्तिके साथ अपनाया जाना चाहिये।